

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक म.आ.शि / 2019 / 19


दिनांक 28.05.2019

आदेश

प्रमुख शासन सचिव एवं महिला बाल विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ.16(4)(5)/निमअ/यौ उत्पी / 11/65465 दिनांक 30.12.2013 के बिन्दु संख्या 3 की अनुपालना में निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर राजस्थान, में लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतिलोष) अधिनियम, 2013 के तहत महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन की शिकायतों की जांच हेतु आदेश क्रमांक 24 दिनांक 19.03.17 के द्वारा गठित अधिकारियों की आंतरिक शिकायत समिति में आंशिक सशोधन करते हुये निम्नलिखित अधिकारियों की आंतरिक शिकायत समिति का गठन एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से किया जाता है -

- | | |
|---|------------|
| 1 डॉ अलका शर्मा, संयुक्त निदेशक (बाढ़), मुख्यालय। | अध्यक्ष |
| 2 डॉ गुणमाला जैन, नोडल अधिकारी (एमएनजेवाई), मुख्यालय। | सदस्य सचिव |
| 3 डॉ इन्द्रा गुप्ता, नोडल अधिकारी (आदर्श पीएचसी), मुख्यालय। | सदस्य |
| 4 डॉ आरपी मीणा, संयुक्त निदेशक (अस्पताल प्रशासन), मुख्यालय। | सदस्य |
| 5 डॉ रेणुका पामेचा, एस-5, बजाज नगर, जयपुर। | सदस्य |

उक्त आंतरिक शिकायत समिति के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन की शिकायतों की त्वरित जांच कर जांच प्रतिवेदन निश्चित समयवधि में प्रस्तुत करेंगी।



निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक म.आ.शि / 2019 / 19

दिनांक 28.05.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाथं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 विशिष्ट सहायक, पारंपरिक स्वास्थ्य पत्नी महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, अति मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3 विशिष्ट सचिव एवं मिशन निदेशक, एनएचएम, मुख्यालय।
- 4 विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक (आईईसी), मुख्यालय।
- 5 प्रबंध निदेशक, आरएमएससीएल, मुख्यालय।
- 6 निदेशक (आरसीएच/एडस)/वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
- 7 अति. निदेशक (प्रशासन/राजपत्रित/ग्रा स्वा /पक/चिप्र), मुख्यालय।
- 8 सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य महिला आयोग, लालकोठी, टोक रोड, जयपुर।
- 9 डॉ. अलका शर्मा, संयुक्त निदेशक (बाढ़), मुख्यालय।
- 10 सभी सदस्य, आंतरिक शिकायत समिति।
- 11 डॉ रेणुका पामेचा, एस-5, बजाज नगर, जयपुर।
- 12 प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावे।
- 13 आदेश/रक्षित पत्रावली।


निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।